प्रेस नोट

जनपद हमीरपुर **दिनांक 16.04.2024**

प्रचलित लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2024 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में थाना चिकासी के द्वारा 02 लाख 50 हजार संदिग्ध रुपयों की जब्ती की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया, जनपद हमीरपुर के निर्देशन में प्रचलित लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2024 को निष्पक्ष व सकुशल सम्पन्न करायें जाने के उद्देश्य से थाना चिकासी पुलिस टीम के प्रयास से थाना क्षेत्रअन्तर्गत संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी कि इसी दौरान वेतवा पुल बैरियर के पास संदिग्ध वाहन सफेद बोलेरो सं0 UP77V1745 में 1. आयुष सिंह पुत्र शिवस्वरूप सिंह निवासी खौजा रामपुर थाना राजपुर जिला कानपुर देहात 2. मोहित पुत्र हरगोविंद नि0 भरौशा थाना मौठ जिला झांसी 3. दीपक सिंह पुत्र सूरज भान सिंह निवासी खरक कला थाना भिवानी जिला भिवानी हरियाणा के कब्जे से मुबलिक 02 लाख 50 हजार रुपयें बरामद हुए। उक्त व्यक्तियों से बरामद धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो माकूल उत्तर नही दे सके।

जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2024 को प्रभावित करने के उद्देश्य से उक्त धनराशि का प्रयोग कर मतदाताओं को आकर्षित किये जाने की पूर्ण आशंका थी। जिस कारण से थाना चिकासी पुलिस द्वारा जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गई ताकि लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष व सकुशल सम्पन्न कराया जा सकें।